प्रेस नोट **दिनांक 29.12.2020**

सराहनीय कार्य जनपद बागपत

- **थाना खेकडा पुलिस द्वारा 25 हजार रूपये का इनामी शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक तमंचा मय कारतूस नाजायज बरामद।**

- **<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–</u>**

1–प्रदीप उर्फ कल्लू पुत्र रामकुमार निवासी परमहंस विहार गली न0–3 कस्बा व थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

- **<u>बरामदगी का विवरण–</u>**

1–एक तमंचा 315 बोर मय 02 जिदां कारतूस।

- **<u>अपराधिक इतिहास अभियुक्त प्रदीप–</u>**

1–मु0अ0सं0 373/2019 धारा 394, 307, 411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।
2–मु0अ0सं0 374/2019 धारा 307 भादवि(पुलिस मुठभेड) थाना खेकडा जनपद बागपत।
3–मु0अ0सं0 389/2019 धारा 3/25 षस्त्र अधिनियम थाना खेकडा जनपद बागपत।
4–मु0अ0सं0 448/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना खेकडा जनपद बागपत।
5–मु0अ0सं0 495/2019 धारा 3/25 षस्त्र अधिनियम थाना खेकडा जनपद बागपत।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण एवं पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–</u>

आज दिनांक 29.12.2020 को सुबह समय करीब 11:20 बजे थाना खेकडा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान फखरपुर नहर पुलिया चौराहे से गैंगस्टर अधिनियम में वांछित अभियुक्त प्रदीप उर्फ कल्लू पुत्र रामकुमार निवासी परमहंस विहार गली न0–3 कस्बा व थाना लोनी गाजियाबाद को मय एक तमंचा 315 बोर मय 02 जिदां कारतूस नाजायज के साथ गिरफ्तार किया है। अभियुक्त षातिर अपराधी है।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त प्रदीप उपरोक्त थाना खेकडा के मु0अ0सं0 448/20 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में वांछित चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत द्वारा 25 हजार रूपये का इनाम घोषित किया गया था।

- **सोषल मीडिया प्लेटफार्म (फेसबुक व व्हाट्सएप) पर 02 तमंचों के साथ फोटो वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार, निषांदेही से 02 तमंचे मय 01 जिंदा कारतूस नाजायज बरामद।**

थाना खेकडा– पुलिस द्वारा दिनांक 28.12.2020 को रात्रि समय करीब 21:30 बजे मुखबिर की सूचना पर सैदपुर गेट के पास से आरोपी लक्की उर्फ वैभव पुत्र सहदेव निवासी बडागांव थाना खेकडा जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की निषांदेही से 02 तमंचे 315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस नाजायज बरामद किया गया है। आरोपी के विरूद्व थाना खेकडा पर विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी द्वारा सोषल मीडिया प्लेटफार्म(फेसबुक व **व्हाट्सएप**) पर 02 तमंचो के साथ फोटो वायरल किया गया था।